फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

मैसर्स खुश हाउसिंग फाईनेन्स प्रा० लि० बनाम राजू माली

प्रकरण संख्या 565/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
15.11.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्थान के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में धारा 13 (2) के नोटिस के अनुसार कुल बकाया ऋण राशि 92,725/—रुपये है। बकाया ऋण राशि एक लाख रूपये से कम होने व 20 प्रतिशत से कम होने से उक्त मामले में सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 31 (H) or (J) के तहत सरफेशी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से सरफेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	